न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 15.07.2022

मिशल संख्या:– 161/2021

उनवानी दावा :

1. चन्द्री देवी पत्नि सीताराम जाति नायक उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
2. दुर्गालाल पुत्र सीताराम जाति नायक उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
3. लाड देवी पुत्री सीताराम जाति नायक उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
4. श्योजीलाल पुत्र सीताराम जाति नायक उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
5. हेमराज पुत्र सीताराम जाति नायक उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. कैलाश पुत्र माधो जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
2. छोटी पुत्री गोकल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
3. पाना पुत्री गोकल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
4. बदरी पुत्री गोकल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
5. भंवरलाल पुत्र गोकल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
6. भोजाराम पुत्र गोकल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
7. मुकेश पुत्र देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
8. मेवालाल पुत्र गोकल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
9. शिवराज पुत्र देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
10. सजनी पत्नि देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
11. सोजीराम पुत्र गोकल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
12. हंसा पुत्री देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
13. तहसीलदार जी देवली जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12
तहसीलदार देवली
अप्रार्थी संख्या 13

प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राज0टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0नं0 1197 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0नं0 1198 रकबा 0.47 है0 एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0नं0 1199 रकबा 2.44 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है तथा ख0नं0 1211 राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है। प्रार्थीगण काफी वर्षो से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि में ग्राम राजमहल से लाखोलाई जाने वाले आम रास्ता ख0नं0 1211 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी भूमि ख0नं0 1198 एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 की खातेदारी की आराजी भूमि ख0नं0 1199 के मध्य स्थित मेर पर से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा अपने कृषि संबंधी यंत्र भी इसी रास्ते से होकर लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण 1 ता 12 द्वारा रास्ता बंद कर देने तथा राजस्व रिकार्ड में आने–जाने का रास्ता नहीं होने क कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने–जाने के लिये ग्राम राजमहल से लाखोलाई जाने वाले आम रास्ता ख0नं0 1211 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी भूमि ख0नं0 1198 एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 की खातेदारी की आराजी भूमि ख0नं0 1199 के मध्य स्थित मेर पर से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0नं0 1197 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 पर आने–जाने के लिए ग्राम राजमहल से लाखोलाई जाने वाले आम रास्ता ख0नं0 1211 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी भूमि ख0नं0 1198 एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 की खातेदारी की आराजी भूमि ख0नं0

1199 के मध्य स्थित मेर पर से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 13 ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:-प्रार्थी का अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 6 मी., लम्बाई 70 मी., कुल क्षेत्रफल 420 वर्गमीटर है। रास्ते चाहे जाने वाली भूमि सिंचित है सडक व आबादी से दूर है इसकी डींएलसी दर 941984 रूपये प्रति हैे0 है जिसकी एक गुना राशि 39565/- व दुगुनी प्रतिकार राशि 79130/- रूपये है। रास्ते चाहे जाने वाली आवेदक की ख़ातेदारी भूमि है। रास्ता ख0नं0 1198, 1199 में से चाहा है रास्ते को ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। ख0नं0 1198 में से 3 मी0 चौडा व 70 मी0 लम्बा कुल 210 वर्गमी0 व ख0नं0 1199 में से 3 मी0 चौडा व 70 मी0 लम्बा यानि कुल 210 वर्गमी0 चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ते में कोई संरचना व पेड-पौधे नहीं है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मय राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस की दो प्रति और डीएलसी दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान्जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 1197 वाके ग्राम राजमहल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थीगण बहुत ही गरीब काश्तकार लोग है जिसको कोई भी अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता नहीं देता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही न्यायालय द्वारा की गई। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। यदि प्रार्थी को रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी की आराजी भूमि पड़त रह जाएगी और अनावश्यक लड़ाई झगडे बढेंगे।

अप्रार्थी संख्या 13 बहस में अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1197 वाके ग्राम राजमहल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार

प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। अतः तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि, रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही अनुसार प्रस्तावित रास्ते की आराजी खसरा नम्बर 1198 में से प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर एवं लम्बाई 70 मीटर यानि कुल क्षैत्रफल 210 वर्ग मीटर एवं ख. नं. 1199 में रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर एवं लम्बाई 70 मीटर यानि कुल क्षैत्रफल 210 वर्ग मीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 941984/– रू0 प्रति हैक्टेयर है से 420 वर्ग मीटर की गणना कर डीएलसी दर से एक गुना राशि 39565/– रूपये होती है, के अनुसार दुगनी प्रतिकर राशि 79130/– जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्सानुसार राशि प्रदान करने की सुनिश्चितता करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली